## HARYANA GOVT. GAZ (EXTRA), DEC. 18,2007 (AGHN.27,1929 SAKA)

## हरियाणा सरकार नगर तथा आयोजना विभाग

## <u>अधिसूचना</u> दिनांक 18 दिसंबर , 2007

या सी०सी०पी० (एन० सी०आर०)/जी०जी०एन० /एफ०एन०/ सी०ए० /2007/4357 — चूंकि, राज्या सरकार की राय मे नीचे दी गई विनिर्दिष्ट तथा उससे सलंग्न योजना मे दर्शाए गए क्षेत्रो भवन गतिविधियों, औद्योगिक , विणिज्यिक, संस्थागत तथा मनोरंजनात्मक विविधियों तथा उपरोक्त के सहायक उपयोगों के लिए संभाव्य है:

इस लिए, पंजाब अनुसूचित सडक तथा नियंत्रित क्षेत्र अनियिमत विकास निर्बन्धन अधिनियम 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम की धारा 4) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा , उक्त क्षेत्रों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ नियंत्रित क्षेत्र के रूप मे घोषित करते हैं, अर्थात :-

## अनुसूची

गांव राठीवास, रगांला, जोरासी, खोरी खूर्द, सूनारी, अतीतका तथा चंन्दीका जिला मेवात के इर्द गिर्द के नियंत्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची को ड्रांईग संख्या डी०टी०पी० (जी०) 1546/2007, दिनांक 20.फरवरी,2007 के साथ पडा जाए।

- उत्तर:— बिन्दु 'ए' से आरम्भ करते हुए जो कि गांव राठीवास (हदबस्त संख्या 34) की आयत संख्या 17 का उत्तर—पश्चिम कोना है उसके तत्पश्चात पूर्व की और गांव ऊंटन के राजकीय प्राथामिक विद्यालय के चारों ओर हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन० सी०आर०)/कं०एम०पी.०/सी०एन०जी० /बी०/2005 /1312 दिनांक 05.08.2005 /1301 दिनांक 05.08.2005 द्वारा पहले से घोषित निंयत्रित क्षेत्र की सीमाओं के साथ साथ बिन्दु 'बी 'तक जो कि गांव सूनारी (हदबस्त संख्या 40 ) की आयत संख्या चार का उत्तर—पूर्व कोना है व गांव सूनारी (हदबस्त संख्या 40 ), जोरासी (हदबस्त संख्या 32 ) तथा निजामपूर तावडू (हदबस्त संख्या 43 ) की राजस्व सीमाओं का तिरहा है।
- पूर्वः— तत्पश्चात बिन्दु ' बी ' से होते हुए दक्षिण की ओर गावं निजमापुर तावडू (हदबस्त संख्या —43 ) के चारे। ओर हिरयाणा नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या 5926—10 डी०पी०—83 / 10765 दिनांक 27.07.1983 द्वारा पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि गांव चंदीका (हदबस्त संख्या 39),निजामपुर (हदबस्त संख्या 43 ) व गुरनावट (हदबस्त संख्या 49 ) की राजस्व सीमाओं का तिरहा है। इस के पश्चात गांव चंदीका (हदबस्त संख्या 39) की पूर्वी राजस्व सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव चंदीका (हदबस्त संख्या 39), की आयात संख्या 16 का दक्षिण—पूर्व कोना है
- दक्षिण:— तत्पश्चात बिन्दु 'डी' से होते हुए पश्चिम—उत्तर की ओर गांव चंन्दीका (हदबस्त संख्या 39), की आयात संख्या 16 तथा 17 की दक्षिणी सीमा के साथ तथा राजस्थान की राज्य सीमा के साथ बिन्दु 'ई' तक जो कि गांव खोरी कला (हदबस्त संख्या 37), तथा अतीका (हदबस्त संख्या 38), की राजस्व सीमाओं का मिलन बिन्दु है। तत्पश्चात गांव खोरी कला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय के चोरो ओर हरियाणा सरकार नगर तथा ग्राम आयोजनाविभाग,अधिसूचनासी०सी०पी०(एन०सी०आर०) / सी०ए०जी० / बी० / 2005 / 1309 द्वारा पहले से घोषित तथा दिनांक 05.08.2005 को प्रकासित नियंत्रित क्षेत्र की सीमओं के साथ—साथ बिन्दु 'एफ' तक। तत्पश्चात राजस्थान की राज्य की सीमा के साथ—साथ बिन्दु 'जी' तक जो कि गांव रंगाला (हदबस्त संख्या 35), आयात संख्या 62 का दक्षिण—पश्चिम कोना है।
- पश्चिमः—तत्पश्चात बिन्दु ' सी ' से होते हुए उत्तर—पुर्व की और गांव राठीवास के राजकीय प्रथामिक विद्यालय के चारो ओर हिरयाणा सरकार, नगर तथा ग्रांम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या सी०सी०पी० (एन०सी०आर०) / के०एम०पी.० / सी०ए०जी० / बी० / 2005 / 1303 दिनांक 5.08.2005 को प्रकासित द्वारा पहले से घोषित नियंत्रित क्षेत्र की सीमओं के साथ—साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

डी०एस० ढेसी, आयुक्त एवं सचिव,हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग